गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी

का

संविधान

और

नियम

गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी
(म.प्र. एवं छ.ग.) भारत

गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी

साथ, सच्चरित्र, सत्कर्म, धर्मनिपेक्ष, मानववाद, निष्ठा, राष्ट्रीयता

संविधान एवं नियम

धारा–1 : नाम–पार्टी का नाम : गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी होगा, आगे पार्टी शब्द से यही अभिज्ञात होगा।

धारा–2 : पार्टी ऐसे भारत के निर्माण के लिय कृत संकलित है जो सुदृढ़, समृद्ध, समृद्ध एवं स्वावलम्बी तो हो ही साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान से युक्त हो। नैतिकता युक्त मानववाद, धर्म निरपेक्षता व समानता पर आधारित, प्राचीन सांस्कृतिक, मूल्यों से युक्त हो महान विश्व शक्ति के रूप में उभरने में समर्थ हो, विश्व शांति और न्याय से परिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये अपनी गौरव पूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके।

धारा–3 : मानवाद पार्टी का पूर्ण दर्शन है।

धारा–4 : राष्ट्रीयता, सत्य, अहिंसा, सच्चरित्रता, सत्कर्म धर्म निरपेक्षता मानवाद, शोषणयुक्त समाजवाद व नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के प्रति पार्टी प्रतिबद्ध है। आर्थिक व राजनैतिक विक्रेन्द्रीकरण में पार्टी का विश्वास है।

धारा–5 : **गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी का झण्डा** सफेद–केसरिया रंग में होगा जिसमें नीले रंग में पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होगा।

धारा–6 : **चुनाव चिन्ह** – पार्टी का चुनाव चिन्ह **"आरी"** होगा।

धारा–7 : **संगठनात्मक ढांचा :–**

1. राष्ट्रीय स्तर – (क) पार्टी का पूर्ण अधिवेशन
   (ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी
2. प्रांतीय स्तर – प्रांतीय कार्यकारिणी
3. संभागीय स्तर – संभागीय कार्यकारिणी
4. जिला स्तर – जिला कार्यकारिणी

5. विधान सभा स्तर – विधान सभा कार्यकारिणी

6. ग्राम पंचायत स्तर – ग्राम पंचायत स्तर की कार्यकारिणी

धारा–8 : भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य एवम् केन्द्र शासित राज्यों में से भी पार्टी समितियां बनायेगी।

धारा–9 **सदस्यता :**

1. 18 वर्ष से ऊपर कोई भी भारतीय जो पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास रखता हो, सदस्यता पत्र फार्म भर कर सदस्य बन सकता है।
2. सदस्यता की समाप्ति – मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन से सदस्यता समाप्त होगी।
3. सदस्यता शुल्क की 80 प्रतिशत विधान सभा स्तर की
   5 प्रतिशत जिला स्तर
   5 प्रतिशत सम्भाग स्तर
   5 प्रतिशत प्रांतीय स्तर
   जमा होगा प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी के प्रस्ताव व अध्यक्ष की अनुमति से ही राशि व्यय किया जावेगा।

धारा–10 : **कार्यकाल :–**

प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

धारा–11 : **सदस्य कंडिका :–**

सदस्य कंडिका विधान सभा स्तर पर तैयार की जावेगी, जिसका अनुमोदन जिला, सम्भाग, प्रांतीय कार्यकारिणी करेगी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रमाणित करेगी।

धारा 12 – **सदस्यों का वर्गीकरण**

सदस्यता का नवीनीकरण सदस्यता फार्म भरकर किया जा सकता है।

धारा–12 : सदस्यों का वर्गीकरण :–

(क) सामान्य सदस्य – 2.00 वार्षिक शुल्क देकर तथा आवेदन पत्र भरकर।

(ख) सक्रिय सदस्य – जो सामान्य सदस्य निश्चित समय सीमा के भीतर 100 सामान्य सदस्य बनायेगा वह सक्रिय सदस्य होगा।

(ग) नवीनीकरण –

(घ) सम्माननीय सदस्य – जो व्यक्ति 100/– अनुदान देगा सम्मानीय सदस्या होगा।

(ड.) आजीवन सदस्य जो व्यक्ति 1,000/– अनुदान देगा वह आजीवन सदस्य होगा।

(च) संरक्षक सदस्य – जो व्यक्ति स्वेच्छा से पार्टी को अनुदान दे तथा पार्टी के राजनैतिक हितों का संरक्षण करे वह पार्टी का संरक्षक सदस्य होगा।

धारा–13 : उम्मीदवारी शुल्क :– कोई भी व्यक्ति रूपये 200/– जमा कर विधान सभा व लोक सभा की उम्मीदवारी हेतु आवेदन पत्र भर सकता है। उम्मीदवारी का अंतिम निर्णण्य जिला प्रांतीय कार्यकारिणी की अनुसंशा पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी।

धारा–14 : 1. समितियां :–

(क) विधान सभा स्तर की समिति–
इस समिति में कम से कम 25 सक्रिय सदस्य होंगे।

(ख) इस समिति के पदाधिकारी व कार्यकारिणी का चुनाव विधान सभा स्तर की समिति के सदस्यों के द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक समिति में महिला व अनुसूचित जाति व जनजाति के एक–एक सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिये।

2. जिला स्तरीय समिति– इस समिति में जिले के विधान सभा स्तर की समितियों के अध्यक्ष सदस्य होंगे तथा जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष सदस्य स्तरीय समिति स्तरीय समितियों से सदस्यों द्वारा जिला स्तरीय समिति के पदाधिकारी व कर्यकारिणी का गठन किया जावेगा।

3. सम्भागीय स्तर समिति – जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष सम्भागीय स्तर समिति के सदस्य होंगे तथा सम्भागीय समिति के पदाधिकारी व कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

4. प्रांतीय स्तरीय समिति – सम्भागीय स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रांतीय स्तरीय समिति के सदस्य होंगे तथा प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

5. राष्ट्रीय स्तरीय समिति – प्रांतीय स्तर व समिति के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर समिति के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

नोट :– प्रत्येक समिति में महिला, आदिवासी, हरिजन व अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिये।

धारा–15 : शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र :–

1. विधान सभा स्तर समिति ही विधान सभा स्तर पर पार्टी संविधान के तहत सदस्य बनायेगा तथा विधान सभा स्तर पर पार्टी हेतु उम्मीदवार का अनुमोदन कर स्वीकृति हेतु उचित मार्ग से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजेगा।

2. जिला, सम्भागीय, प्रांतीय, व राष्ट्रीय स्तर समिति अधीक्षण के साथ–साथ पार्टी के कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार व क्रियानवयन होंगे।

3. राष्ट्रीय स्तर समिति – पार्टी के समस्त समितियों के अधीक्षण के साथ–साथ पार्टी हेतु नीति तैयार करेगी, राष्ट्रीय समिति का विश्विास ही अंतिम होगा।

4. राष्ट्रीय समिति पार्टी संचालन हेतु नियम बनायेगी चुनाव कराने हेतु व्यवस्था करेगी व निचले स्तर के समितियों के विवादों का निपटारा करेगी।
5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशों का निचले स्तर की समिति द्वारा पालन करना कर्तव्य होगा।
6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुशासन हीनता के मामलों को निपटाने के लिये के लिये प्रत्येक स्तर पर अनुशासन समीति गठन करेगी, तथा नियम बनाकर पार्टी में अनुकासन बनायेगी।
7. पार्टी व सदस्यों हेतु आचार संहिता बनायेगी।
8. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियम बनायेगी।

धारा 16 संविधान में परिवर्तन (संविधान संशोधन)

इस संविधान में कोई संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन केवल गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा ही किया जा सकता है। किन्तु जब गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी न हो रहा हो, तब यदि गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी कार्य समिति चाहे तो गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी को धारा–1 को छोड़कर संविधान में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि इस प्रकार का कोई भी संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा तभी किया जा सकेगा जब प्रस्तावित तब्दीली के बारे में प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम एक महीना पहले यथाविधि नोटिस दिया जा चुका हो और **इसी काम के लिए खासतौर पर बुलाई गई बैठक में उपस्थित होकर मत देने वाले सदस्यों का उन परिवर्तनों के पक्ष में दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो।** गोंडवाना गडतंत्र पाटी द्वारा किये गये परिवर्तन सम्पुष्टि हेतु आगामी गोंडवाना गडतंत्र पाटी अधिवेशन के समक्ष रखे जायेंगें किन्तु सम्पुष्टि होने से पहले भी उन्हें गोंडवाना गडतंत्र पाटी द्वारा निश्चित की गई किसी भी तारीख से लागू किया जा सकता है।

धारा 17 – अनुशासन का उल्लंघन

अनुशासन के उल्लंघन में निम्नलिखित शामिल हैं –

1. जान–बूझकर गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम तथा निर्णयों के विरूद्ध कार्य अथवा प्रचार करना।
2. जान–बूझकर गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के नियमों अथवा किसी समर्थ अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञाओं की अवहेलना करना।
3. गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी कोष, सदस्यों की भर्ती अथवा कमेटियों के चुनाव से संबंधित कपटपूर्ण व्यवहार में शामिल होना।
4. नैतिक पतन, काला बाजार, चीजों में मिलावट, रिश्वतखोरी, भष्टाचार, जालसाजी, गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी कोष के गबन अथवा बेचने जैसे जुर्मों का अपराधी होना।
5. जान–बूझकर ऐसे काम करना, जिनसे गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की प्रतिष्ठा घटित होती हो या गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी या पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रचार करना।

धारा – 18

दंड की व्यवस्था निम्न प्रकार है –

1. किसी गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के मामले में उसको भंग कर नयी कमेटी का गठन और अनुशासन भंग करने वाले सदस्य विशेष के विरूद्ध इसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही जो भी आवश्यक हो।
2. किसी गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी या सदस्य के मामले में उसके पद अथवा उसकी सदस्यता से मुअतिल करना या हटाया जाना और ऐसी अवधि का निर्णय किया जाना, जिसके दौरान वह किसी भी पद का चुना न जा सके, नामजद न किया जा सके अथवा किसी कमेटी का सदस्य अथवा सदस्य न हो सके।
3. सदस्यों के मामले में सदस्यता से हटाया जाना तथा निश्चित समय के लिए सदस्यता के निमित्त अयोग्य करार दिया जाना। बशर्ते कि यदि कोई

व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है और दंड भी घोषित कर दिया गया है, किसी भी स्थानीय निकाय, विधानमंडल, संसद या गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी सदस्य होने के नाते किसी अन्य पर है तो उसे इन संस्थाओं से भी त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है।

धारा – 19 अपील

1. किसी भी गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी या सदस्य को, जिसके विरूद्ध गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की कार्यकारिणी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, आज्ञा प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी समिति से अपील करने का अधिकार होगा और गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की कार्यकारिणी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर आज्ञा प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की कार्यकारिणी से अपील करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि जिस आज्ञा के विरूद्ध अपील की गयी हो उसका पालन किया जाये। गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष इस प्रकार की आज्ञा को, जैसा भी प्रकरण हो, जब कार्य रूप में परिणत होने से रोक देना उचित समझें, रोक सते है।
2. संबंधित समिति से आज्ञा प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर ही अपील की दो प्रतियां दाखिल की जानी चाहिए।
3. इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरूद्ध जिसमें किसी को निर्वाचित समिति से हटाया जाना हो, अपील के निर्णय तक रिक्त हुए स्थान को भरा नहीं जावेगा।

धारा – 20 विशेष अधिवेशन

1. गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी का विशेष अधिवेशन गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के निर्णय लेने या अधिकांश गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा अपने प्रस्तावों के माध्यम से गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी से अनुरोध किये जाने पर बुलाया जायेगा।

2. इस प्रकार के विशेष अधिवेशन का आयोजन उस गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा किया जायेगा जिसके प्रदेश को अधिवेशन के लिए चुना जायेगा।

धारा – 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

1. केन्द्रीय निर्वाचन प्राधिकरण का अध्यक्ष, अध्यक्ष के चुनाव में पदेन निर्वाचन अधिकारी होगा।
2. कोई भी दस डेलीगेट संयुक्त रूप से किसी भी डेलीगेट का नाम गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के लिए पेश कर सकेंगे। ऐसे प्रस्तावों का कार्य समिति द्वारा निश्चित की गयी तारीख पर या उससे पहले ही निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाना जरूरी होगा।
3. निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार प्रस्तावित सभी व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करेगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रस्तावित किये जा चुकेंगें उनमें से किसी भी व्यक्ति को छूट रहेगी कि वह प्रस्तावित नामों के प्रकाशन के सात दिन के अन्दर निर्वाचन अधिकारी को लिख कर देने पर अपना नाम उम्मीदवारी से वापस ले सकता है।
4. निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम निकालकर बाकी उम्मीदवारों के नाम तुरंत प्रकाशित करेगा और उन्हें गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के पास भेज देगा। नाम निकाले जाने के बाद यदि केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए, तो उसे आगामी गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी अधिवेशन का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया जायेगा।

धारा – 22 सदस्यों की पंजिका और पार्टी कोष में चंदा

पंजिका :

क) सदस्यों की स्थायी पंजिकाएं गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा रखी जाएगी। स्थायी पंजिका की, गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित एक प्रति गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी को उपलब्ध की जाएगी। गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी अपने

सदस्यों को पहचान पत्र जारी करेंगी, जिन पर सदस्यों के फोटो चिपके होंगें और संबंधित गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

ख) प्रदेश गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सदस्यों की स्थायी पंजिका की एक यथाविधि प्रमाणित प्रति गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी को भेजेगी और उन परिवर्तनों के बारे में सूचित करती रहेगी जो कि समय समय पर इसमें किये जायेंगें।

ग) पंजिका में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता उम्र पेशा निवास स्थान का पता और भर्ती की तारीख का उल्लेख रहेगा।

घ) त्याग पत्र देने, मृत्यु होने, हटाये जाने अथवा त्रिवार्षिक शुल्क/अंशदान न देने पर और सदस्यता का नवीनीकरण न कराने पर सदस्यता खत्म हो जायेगी।

धारा – 23 सदस्यता हेतु पार्टी पत्रिका के लिए चन्दा :

प्रत्येक सदस्य भर्ती के समय गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी द्वारा स्वीकृत पत्रिका, अर्थात गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के लिए चन्दा अदा करेगा। चन्दे की राशि सदस्य/सदस्यता के भर्ती/नवीनीकरण फार्म के साथ जमा करनी होगी। तथापि, ऐसे व्यक्तियों को जो क्रियाशील सदस्य बनना चाहते हैं, परन्तु जो अपने सदस्यता शुल्क के साथ गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के लिए चंदा नहीं दे सकते पत्रिका के चंदे को उनके सदस्य के रूप में भर्ती के एक साल के अन्दर देने की अनुमति है। उन सदस्यों के लिए गोंडवाना संदेश का ग्राहक बनना आवश्यक होगा, जो किसी कमेटी के लिए चुने जाते हैं। संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों, पंचायत राज सदस्यों और ब्लॉक स्तर पर उससे ऊपर के स्तर के सभी पार्टी पदाधिकारियों जैसे चुने गये प्रतिनिधियों के लिए गोंडवाना संदेश का चंदा देना अनिवार्य होगा। जो प्रत्येक सदस्य द्वारा गोंडवाना संदेश का चंदा दिये जाने के मामले में छूट दी जायेगी। ऐसे परिवार का कोई एक सदस्य ही गोंडवाना संदेश का चंदा देगा। ऐसे

मामलों में ब्लॉक गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी का अध्यक्ष बाकी सदस्यों को उक्त चंदा देने की छूट देने हेतु प्राधिकृत है।

धारा – 24 सदस्यों का प्रशिक्षण

1. प्रत्येक सदस्य न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जो कि कार्य समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2. किसी भी सदस्य को निम्नलिखित चुनावों में खड़े होने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह कार्य समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करने का वचन न दे द :

   क) गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी

   ख) गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की कार्यकारिणी

   ग) पार्टी टिकट पर संसद, राज्य विधानमंडल, महानगर परिषद या स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में।
3. संसद, राज्य विधानमंण्डल और स्थानीय निकायों में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि वह गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी का सदस्य न हो।

सदस्यता फार्म

गोंडवाना गडतंत्र पार्टी के संविधान की धारा 9 के अनुसार

फार्म सं. ....

मैं भारतीय राष्ट्रीय गोंडवाना गडतंत्र पार्टी के सदस्य के रूप में भर्ती होना/ गोंडवाना गडतंत्र पार्टी की अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना चाहता हूँ। मैं गोंडवाना गडतंत्र पार्टी संविधान की धारा 1 को स्वीकार करता हूँ जो कि इस प्रकार है :

गोंडवाना गडतंत्र पार्टी का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो कि संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारी की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व–शांति और विश्व–बन्धुत्व हो।''

मैं किसी अन्य राजनैतिक, साम्प्रदायिक या अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ, जिसकी पृथक सदस्यता, विधान और कार्यक्रय हो। मैं इसके साथ........................... से .... तक 5 वर्ष के लिए 10/– (केवल दस रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कर रहा हूँ।

नाम ....

- लिंग : महिला/पुरूष
- जो भी लागू हो उस पर टिक का निशान लगाइये
- किसके सम्बद्ध है :अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक
- जो भी लागू है उस पर टिक का निशान लगाइये

पिता या पति का नाम ....

स्थायी पता ....

स्थायी निवास स्थान या कार्य स्थल ....

आयु .... पेशा ....

मोबाईल नं. .... फोन नं. .... ई–मेल ....

बूथ कमेटी/यूनिट .... क्र. सं. .... नाम ....

ब्लॉक का नाम ....

....

....
प्रार्थी के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

....
सदस्य बनाने वाले के हस्ताक्षर

....
भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर
तारीख ....

गोंडवाना गडतंत्र पार्टी .... के मंत्री द्वारा टिप्पणी

श्री/सुश्री .... का उपर्युक्त आवेदन–पत्र, वर्ष .... से .... तक के लिए सदस्यता शुल्क 5/– (केवल पांच रूपये) सहित, इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है, जिसे सदस्य बनाने वाले श्री/सुश्री .... द्वारा जमा करवा दिया गया है। गोंडवाना गडतंत्र पार्टी के रजिस्टर में क्र. सं. .... है।

तारीख ....

अध्यक्ष/प्रभारी के हस्ताक्षर ....

.... गोंडवाना गडतंत्र पार्टी

तारीख ....

फार्म नं. ....

फार्म सं. ....

प्रार्थी को दी जाने वाली रसीद :

रसीद सं. .... श्री/सुश्री .... का सदस्यता फार्म, वर्ष .... से .... पांच वर्ष तक के लिए 10/– (केवल दस रूपये) सदस्यता शुल्क सहित प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष/प्रभारी के हस्ताक्षर ....

.... गोंडवाना गडतंत्र पार्टी

तारीख ....
फार्म नं. ....

घोषणा

मैं घोषणा करता हूॅ कि :

1. मेरी आयु 18 वर्ष या अधिक है।
2. मैं अपने को मादक पेयों और नशीले पदार्थों से दूर रखता हूॅ।
3. मैं न तो सामाजिक भेदभाव करता हूॅ और न किसी भी रूप में इस अमल में लाता हूॅ और इसे मिटाने के लिए काम करने का वचन देता हूॅ।
4. मैं धर्म और जाति के भेदभाव रहित एक सूत्र में बंधे समाज में विश्वास रखता हूॅ।
5. मैं कार्य समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्यो को करने के लिए तैयार हूॅ जिनमें शारीरिक श्रम भी शामिल है।

6. मेरे पास जायदाद की कानूनी तौर पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कोई जायदाद नहीं है।
7. मैं धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और जनतंत्रवाद के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूॅ और उनको आगे के लिए कार्य करता हूॅ। मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, खुलेतौर पर या किसी प्रकार से केवल पार्टी मंचों को छोड़कर कहीं भी पार्टी की स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध या आलोचना नहीं करूॅगा।
8. मैं गोंडवाना गडतंत्र पार्टी द्वारा स्वीकृत पत्रिका का नियमति ग्राहक बनूॅगा।
9. मैं गोंडवाना गडतंत्र पार्टी के संविधान के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों और बनाये गये नियमों का पालन करूॅगा।

अनुमोदन ....

अध्यक्ष / प्रभारी प्रार्थी के हस्ताक्षर

या अंगूठा का निशान

तारीख ....

उद्देश्य

गोंडवाना गडतंत्र पार्टी का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समावदी राज्य कायम करना है जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्वशांति और विश्वबंधुत्व हो।